बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 29/05/2026

संख्याः–17 / विविध–01–16 / 2010–613 (17) / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (i) यह नियमावली ''सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।''

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली दिनांक--03.04.2025 से प्रवृत्त होगी, जो वैसे मामलों पर भी प्रभावी होगी, जिसमें चयन की अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित है, परंतु मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गयी है। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

2. **सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय–05 के नियम–08 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के अध्याय–05 के नियम–08 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

सहायक प्राध्यापक के पद पर सम्पुष्टि नियुक्ति के एक वर्ष के पश्चात सहायक प्राध्यापक के रूप में संतोषप्रद सेवा के आधार पर की जायेगी।

3. **सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के Annexure-B (3) (च) के बाद जोड़ना।**– उक्त नियमावली के Annexure-B (3) (च) के बाद निम्नवत् एक नयी कंडिका (छ) जोड़ी जायेगी :–

''**(छ)** बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी सरकारी / गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि द्वारा संचालित सहित) चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के पद पर किये गये कार्य का कार्यानुभव मान्य होगा। सहायक प्राध्यापक के पद पर जिस विभाग में नियुक्ति होगी, उसी विभाग में सीनियर रेजिडेन्ट / ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पद पर किये गये कार्य के लिए कार्यानुभव हेतु कुल–02 अंक प्रतिपूर्ण वर्ष की दर से अधिकतम कुल–06 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 02 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) प्रदान किये जायेंगे।''

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०–
(मृणायक दास)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17 / विविध 1–16 / 2010– 613(17) **/ पटना, दिनांक–** 29/05/2026

प्रतिलिपि :– ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद्, पटना को सभा / परिषद् के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी०मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/05/2026

सरकार के विशेष सचिव।